P-1 R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal | Subject - Specific Contracts
part time lecturer | Part — II

उपनिधान एवं गिरवीरूपी उपनिधान
(BAILMENT AND PLEDGE)
(Section - 148 - 181)

उपनिधान का अर्थ (Meaning of Bailment) —

उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा के अन्तर्गत माल का परिदान करता है कि उस प्रयोजन के पूर्ण हो जाने पर वह माल परिदान करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिया जायगा अथवा परिदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जायगा। उदाहरण के लिए घड़ी या साइकिल, या स्कूटर या रेडियो मरम्मत के लिए देना, ड्राई क्लीनर को कपड़ा धोने के लिए देना, उपनिधान है। माल का परिदान करने वाले व्यक्ति को उपनिधाता (Bailor) कहते हैं और जिसको माल दिया जाता है उसे उपनिहिती (Bailee) कहते हैं। धारा-148 उपनिधान के अर्थ को दर्शाता है।

विधिमान्य उपनिधान के लिए निम्न शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है:-

(1) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन हेतु माल का परिदान होना चाहिए।

(2) परिदान इस संविदा पर होना चाहिए कि प्रयोजन पूरा होने के बाद उसे Bailor को लौटा दिया जायगा या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य को (dispose of) किया जायगा।

(1) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन हेतु माल का परिदान होना चाहिए — उपनिधान के लिए माल का परिदान होना अनिवार्य है। उपनिधान केवल चल सम्पत्ति का होता है, अचल सम्पत्ति का उपनिधान नहीं होता है। Bailment के लिए माल का कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है। इसमें माल का स्वामित्व Bailor के पास ही रहता है, लेकिन केवल माल का कब्जा Bailee को दिया जाता है। माल का परिदान वास्तविक (Actual) अथवा प्रलक्षित (Constructive) हो सकता है। जब माल का भौतिक कब्जा Bailor द्वारा Bailee को दिया जाता है तो उसे वास्तविक परिदान कहते हैं।

Scanned with CamScanner

उपनिधान के प्रकार
P-2 (Kinds of Bailment)

ले जाने के लिए दिया जाता है और Bailee को इसके बदले में प्रतिफल दिया जाता है।

(VI) मेनडेटम (Mandatum) — इसमें माल Bailee को उसके सम्बन्ध में कुछ कार्य करने के लिए या परिवहन के लिए दिया जाता है और Bailee इसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं लेता है।

भारतीय संविदा अधिनियम में Bailment का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है। केवल उपनिधान से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है; जैसे- भाड़े के लिए उपनिधान, निःशुल्क उपनिधान, कार्य करने के लिए उपनिधान, अभिरक्षा के लिए उपनिधान, गिरवी रूपी उपनिधान इत्यादि।

Scanned with CamScanner

P-3 उपनिधान (Bailment)

(2) परिदान इस संविदा पर होना चाहिए कि प्रयोजन पूरा होने के बाद उसे Bailor को लौटा दिया जाएगा या उसके निर्देशानुसार अन्यथा व्ययनित (Dispose of) किया जाएगा — उपनिधान में Bailor द्वारा Bailee को माल का परिदान किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है और शर्त यह रहती है कि उस प्रयोजन के पूरा होने पर वह माल Bailor को वापस कर दिया जाएगा या Bailor के निर्देशों के अनुसार उसे किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाएगा। यह Bailment को विक्रय या दान से भिन्न कर देता है। विक्रय या दान में माल का परिदान क्रेता या आदाता को दिया जाता है, परन्तु क्रेता या आदाता उसे विक्रेता या दाता को वापस करने के लिए बाध्य नहीं होता है।

शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि Bailment में जो माल या वस्तु Bailee को दी जाती है वही माल या वस्तु उसी रूप में या परिवर्तित रूप में Bailee द्वारा Bailor को लौटायी जाती है। उदाहरण के लिए आभूषण बनाने के लिए सोनार को स्वर्ण देना उपनिधान है। इस स्थिति में सुनार आभूषण (परिवर्तित रूप में) Bailor को वापस करने को दायित्वाधीन है। यदि ऐसी स्थिति में नहीं है तो यह उपनिधान नहीं है। उदाहरण के लिए बैंक में रुपया जमा करना Bailment नहीं है क्योंकि बैंक वही नोट वापस करने लिए बाध्य नहीं है जिस नोट को जमा कर्ता ने जमा किया।

न्यायालय के निर्णय एवं उपनिधान की परिभाषा तथा शर्तों से स्पष्ट होता है कि उपनिधान के लिए Bailee को माल का कब्जा वस्तुतः या प्रलक्षित देना आवश्यक है। यदि कब्जा Bailor के पास रहता है और उसका कब्जा वस्तुतः या प्रलक्षित Bailee को नहीं दिया जाता है तो विधिमान्य उपनिधान (Lawfull Bailment) का निर्माण नहीं हो सकता।

Scanned with CamScanner

P-2 उपनिधान (Bailment)—

• परन्तु माल का कब्जा वस्तुतः न दिया जाय बल्कि कोई ऐसा कार्य किया जाय जिससे माल का कब्जा लेने का अधिकार Bailee को प्राप्त हो जाय तो उसे प्रलक्षित (Constructive) परिदान कहते हैं। धारा 149 उल्लेखनीय है। इसके अनुसार Bailee को माल का परिदान ऐसा कुछ करने के द्वारा किया जा सकेगा जिसका प्रभाव उस माल को आशयित Bailee के या उसकी ओर से धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना हो। उदाहरण के लिए माल से सम्बन्धित बिल्टी देना या गोदाम की कुंजी देना प्रलक्षित परिदान है। प्रलक्षित प्रदान में माल अपने स्थान पर ही रहता है परन्तु कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसका प्रभाव यह होता है कि माल Bailee के कब्जे में आ जाता है या उसे माल प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। यदि वह व्यक्ति जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है, उसका धारण Bailee के रूप में करने की संविदा करता है तो वह इस प्रकार Bailee हो जाता है और माल का स्वामी Bailor हो जाता है। उदाहरण के लिए अ, ब को अपनी कार बेच देता है परन्तु ब, अ को कहता है कि वह 6 माह उसे अपने पास रखे। यह प्रलक्षित उपनिधान है। कार अ के ही पास है परन्तु पहले वह उसका स्वामी था, परन्तु विक्रय के बाद वह उसका Bailee हो गया।

• न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं० बनाम दिल्ली डेलपमेंट अथॉरिटी के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि माल का कब्जा Bailee को देना Bailment के निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के वाहन खड़ा करने के स्थान पर अपना वाहन खड़ा करता है और जिस व्यक्ति का वह स्थान है वाहन के स्वामी को इस निमित रसीद देता है कि वह एक निश्चित अवधि में वाहन की देख रेख करेगा तो Bailment का निर्माण हो जायगा और यदि वाहन की उचित देख रेख नहीं की जाती है तो वह व्यक्ति जिसका वह स्थान है और जिसने वह रसीद दिया, वाहन की हानि के लिए दायी हो जायगा। इस वाद में वादी ने अपना वाहन प्रतिवादी के यहाँ खड़ा करने के स्थान पर अपना वाहन खड़ा किया और प्रतिवादी ने एक निश्चित अवधि के लिए वाहन के देख रेख के निमित रसीद दिया। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाहन की सही रूपसे देख रेख नहीं किये जाने के कारण वाहन खो गया। प्रतिवादी को इसके लिए दायी ठहराया गया।

Scanned with CamScanner